**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3365**

**26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

 **सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन लौटाया जाना**

**3365. डॉ. वी. मैत्रेयन:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 के अपने प्रत्युत्तर में सरकार के दिनांक 25 जुलाई, 2017 के पत्र के माध्यम से एमओयू प्रस्ताव लौटाए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस प्रत्युत्तर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रक्षा उत्पादन विभाग ने अपनी बाद की बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

…2/-

–2-

**सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन लौटाए जाने के बारे में राज्य सभा में दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 3365 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (घ): आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) ने अक्तूबर, 2017 में बताया था कि संभावित भागीदार के चयन के लिए अपनाए गए मापदंड उनके द्वारा जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है । प्रौद्योगिकीय भागीदार के चयन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का लंबित अनुमोदन, मैसर्स ग्रांड पावर और ओएफबी के बीच समझौता ज्ञापन को जनवरी, 2018 में यह अवगत कराते हुए वापस कर दिया था कि प्रौद्योगिकीय भागीदार के चयन के लिए अनुमोदित मानक प्रचालन प्रक्रिया के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा । मंत्रालय के परामर्शों को शामिल करते हुए प्रौद्योगिकीय भागीदार के चयन के संबंध में संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया को आयुध निर्माणी बोर्ड ने फरवरी, 2018 में प्रस्तुत किया था, जिसे जांच करने के पश्चात मंत्रालय ने मार्च, 2018 में अनुमोदित कर दिया है ।

\*\*\*